

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 78/2024

तारीख दायर:-28.08.2024

पीठासीन अधिकारी:-विजयेश पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री मुख्तियार हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, मैसर्स हरिश किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, पीपलखूंट

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 25/02/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड लाल मिर्च पाउडर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुस्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.05.2024 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 हरिश किराणा स्टोर, पीपलखूंट पहुंचा वहां पर लाल मिर्ची 10 किलोग्राम खुली अवस्था में रखी थी। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम मुख्तियार हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन बताया। खाद्य सुरक्षा

अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैक अवस्था में रखी लाल मिर्ची पाउडर पर शक होने पर विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेंम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 500 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर वास्ते नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम खुला खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 400/-रु विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर का खुला विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग 2 भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. प्रतापगढ़ के कोड क्रमांक वाई-2196 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की। 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं 0 6 की पुश्त पर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि

उनके द्वारा लिया गया लाल मिर्च पाउडर सब स्टेण्डर्ड पाया गया। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया। इस क्रम में फर्म के मालिक द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र एवं आधारकार्ड तथा बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। उक्त के संबंध में मैसर्स छाया इन्टरप्राइजेज बमोरा को फर्म संबंधित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु कहा जाने पर फर्म द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मुख्तियार हुसैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित एवं अपने जवाब में बताया कि वह बाजार से मिर्ची क्रय कर अपनी दूकान पर मिर्ची विक्रय कर अपना गुजारा चलाता है।


परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच/लेब/बांसवाडा/एक्ट/2024/665 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लाल मिर्च पाउडर का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर राशि 10000/-रु अक्षरे दस हजार रु शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय

में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 25.02.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।


न्याय निरीक्षण अधिकारी एवं
(विजयेश पण्ड्या)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़


क्रमांक/रीडर/2025/ 180-81

दिनांक 25.02.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री मुख्तियार हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, मैसर्स हरिश किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, पीपलखूंट




(विजयेश पण्ड्या)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

